

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं०-०५/स्था०-१४६/२००७ परि०-

/पटना,दिनांक-

प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम १९८८ की धारा २१३ (१) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुरेन्द्र कुमार राम, आयुक्त के सचिव सारण प्रमंडल छपरा को, संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, छपरा का पदभार दिनांक ३१.०७.२०१२ के अपराहन से प्रभार ग्रहण करने के फलस्वरूप अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, छपरा के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

दिनांक-२५/८/२०१२

ज्ञापांक

३४८४

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजाबाग पटना, राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना /प्रमंडलीय आयुक्त, सारण, छपरा /जिला पदाधिकारी, छपरा/श्री सुरेन्द्र कुमार राम, आयुक्त के सचिव, सारण प्रमंडल छपरा/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, छपरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, छपरा, सिवान एवं गोपालगंज/मोटरयान निरीक्षक, छपरा, सिवान एवं गोपालगंज/माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, परिवहन विभाग/सभी विभागीय पदाधिकारी/स्थापना शाखा, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

२०१२/२५/८/१२
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।